



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(1)(2)/निमअ/गोपनीय/2018/ 424-478 जयपुर, दिनांक 5/1/18

समस्त राजपत्रित अधिकारी,
महिला अधिकारिता
मुख्यालय /जिला।

विषय:-समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के एसओ-आईडी से लॉगईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बंध में।

संदर्भ:-कार्मिक (क-1/ग्रो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76) कार्मिक /क-1 /गोप्र/2011/ दिनांक 27.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अचल सम्पत्ति का विवरण कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समस्त राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति का विवरण 01 जनवरी की स्थिति में 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से एसओ-आईडी से लॉगईन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन कराना सुनिश्चित करें। अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी विजीलेंस क्लियरेंस नहीं दी जायेगी व पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 31 तक जनवरी तक अचल सम्पत्ति की घोषणा राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन कराना सुनिश्चित करें।

(रेणू खण्डेलवाल)

अतिरिक्त निदेशक

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक 5/1/18

क्रमांक: एफ 4(1)(2)/मअ/गोपनीय/2018/ 479
प्रतिलिपि :-

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर(उप निदेशक), महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर 08/1/18 अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक

महिला अधिकारिता